भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 361
05 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: एमएसपी के लिए नया फॉर्मूला

361. कुमारी राम्या हरिदासः
श्री एस.वेंकटेशनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित सी-2 प्लस 50 प्रतिशत फॉर्मूले के अनुसार सभी कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार किसानों को सी-2 प्लस 50 प्रतिशत फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी कब तक प्रदान करेगीः

(ग) क्या सरकार ने नवंबर 2021 में दिल्ली में किसानों के विरोध को वापस लेने के बदले अपना वादा पूरा नहीं करने के कारण किसानों को होने वाली निराशा पर कोई ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुशंसित सी-2 प्लस 50 प्रतिशत पर एमएसपी सुनिश्चित करने में क्या प्रगति हुई है और यदि सी-2प्लस50 प्रतिशत फॉर्मूला लागू किया जाता है और वास्तविक एमएसपी उसके अनुसार दिया जाता है तो महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के लिए वर्तमान संभावित एमएसपी कितना होगा;

(ङ) क्या किसानों को अपना गैर-लाभकारी पेशा छोड़ने और इसके बाद बड़े कॉर्पोरेटों को उनकी कृषिभूमि और देश की कृषि का अधिग्रहण करने की सुविधा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (च): सरकार संबंधित राज्य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों तथा अन्य संगत कारकों पर विचार करने के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों यथा धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूँग, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास, गेहूँ, जौ, चना, मसूर (लेंटिल), रेपसीड/सरसों कुसुम्भ, पटसन और कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी)तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का निर्धारण करती है।

एमएसपी की सिफारिश करते समय,सीएसीपी महत्वपूर्ण कारकों जैसे समग्र मांग-आपूर्ति की स्थितियां, उत्पादन लागत,घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच

व्यापार की शर्तें, भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के अलावा शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव पर विचार करती है।

उत्पादन लागत, एमएसपी के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है और इसका अनुमान विशेषज्ञ समितियों द्वारा समय-समय पर अनुशंसित कार्यप्रणाली पर आधारित है। सीएसीपी भुगतान की गई वास्तविक लागतों और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य तथा समग्र आदान मूल्य सूचकांक (सीआईपीआई)जो मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम, उर्वरक तथा खाद, बीज, कीटनाशक तथा सिंचाई इत्यादि के नवीनतम मूल्य पर निर्भर है,के आधार पर आगामी विपणन मौसम के लिए लागत का आकलन करता है।

प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) की एक सिफारिश यह थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भारित औसत उत्पादन लागत का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। तदनुसार, सरकार ने 2018-19 के अपने केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर बनाए रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की थी। तदनुसार, कृषि वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों की एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ वृद्धि की है।

इसके अतिरिक्त, एमएसपी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए,सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। इस नीति के तहत, किसानों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर और सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुरूप जो भी खाद्यान्न प्रस्तुत किया जाता है, उसे केंद्रीय पूल के लिए एफसीआई सहित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर खरीदा जाता है। इसके अतिरिक्त,प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) समग्र योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत इसके निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार,पंजीकृत किसानों से उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के तिलहन, दलहन और कोपरा की खरीद की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने किसानों की आय में वृद्धिके लिए कई नीतियों, विकासपरक कार्यक्रमों,योजनाओं और सुधारोंको अपनाया और कार्यान्वित किया है। जो निम्नानुसार हैं:

(i) पीएम-किसान के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिवर्ष तीन समान किश्तों में 6000/-रुपये की अनुपूरक आय का अंतरण।
(ii) उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा सुनिश्चित करते हुए सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि।
(iii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत फसल बीमा।
(iv) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सिंचाई तक बेहतर पहुंच।
(v) 100,000 करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के माध्यम से अवसंरचना निर्माण पर विशेष बल।
(vi) एफसीआई संचालनों के अतिरिक्त पीएम-आशा के तहत नई खरीद नीति।
(vii) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), कृषि फसलों के अतिरिक्त डेयरी और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी उत्पादन ऋण प्रदान करता है।
(viii)10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन और विकास।

(ix) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए), जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए कार्यनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना है।

(x) कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों को अपनाना जिसमें भारतीय कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है।

(xi) मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नीली क्रांति, ब्याज छूट योजना, कृषि-वानिकी, पुनर्गठित बांस मिशन, नई पीढ़ी के वाटरशेड दिशानिर्देशों आदि के कार्यान्वयन के तहत मिलने वाले लाभ।

(xii) कृषि मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर बल देना।

(xiii) आदान लागत को कम करने के लिए किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक की आपूर्ति।

(xiv) किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन और उपलब्धता।

*****